न्यायालय- पंकज शर्मा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद, जिला भिण्ड, म.प्र.

(आप.प्रक.क. : 1686 / 2013) (संस्थित दिनांक : 31 / 12 / 2013)

म.प्र.राज्य, द्वारा आरक्षी केन्द्र :– मालनपुर जिला–भिण्ड., म.प्र.

.....अभियोजन ।

## // विरूद्ध //

- 01. अमित पाठक पुत्र संतोष पाठक उम्र 23 वर्ष, निवासी :— ग्राम सर्वा, थाना—गोहद चौराहा, जिला—भिण्ड, (म.प्र.)
- 02. अनिल कुशवाह पुत्र केदार सिंह कुशवाह उम्र 27 वर्ष निवासी :- ग्राम गिंगरखी, थाना-मेहगांव, जिला-भिण्ड, (म.प्र.)

.....अभुयक्तगण।

# <u>// निर्णय//</u>

( आज दिनांक : 11/01/2017 को घोषित )

- 01. अभियुक्तगण अमित एवं अनिल पर धारा : 379 भा.द.सं. एवं धारा 03 लोक सम्पित्त को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आरोप है कि उन्होंने दिनांक : 08/11/2013 की शाम लगभग 05:00 बजे सुप्रीम फैक्ट्री के पीछे हेलीपेड़, हल्का कमांक 26 घिरोगी मालनपुर में, सहअभियुक्त अमित के साथ मिलकर चोरी करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में शासन के पटवारी हल्का कमांक 26 ग्राम घिरोंगी मालनपुर की पटवारी श्रीमती सुनील शर्मा के आधिपत्य में से शासन के हेलीपेड की मिटटी उसके कब्जे से उसकी सहमित के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से खोदकर चोरी की एवं अभियुक्तगण ने राज्य सरकार को हानि पहुँचाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि आपके इस कृत्य से राज्य सरकार को संदोष हानि कारित होगी, राज्य सरकार के स्वामित्व की लोक सम्पित्त हेलीपेड़ की खुदाई कर मिट्टी को निकालकर राज्य शासन को लगभग 01 लाख रूपये की रिष्टि कारित की।
- 02. प्रकरण में कोई सारवान निर्विवादित तथ्य नहीं है।
- 03. अभियोजन कथा संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक :— 08/11/2013 की शाम लगभग 05:00 बजे सुप्रीम फैक्ट्री के पीछे हेलीपेड़, हल्का क्रमांक 26 घिरोगी मालनपुर से जे.सी.बी. मशीन क्रमांक एम.पी.07/डी.ए./0696 एवं डम्फर क्रमांक एम.पी.07/जी.ए./3035 के चालकों द्वारा अवैध रूप से मिट्टी खोदकर निकाल निकालकर चोरी करने एवं उक्त कृत्य से शासकीय सम्पत्ति हैलीपेड को क्षतिग्रस्त करने की लिखित रिपोर्ट हल्का क्रमांक 26 घिरोंगी

मालनपुर की पटवारी श्रीमती सुनील शर्मा द्वारा दिनांक : 09/11/2013 को रात्रि लगभग 09:35 बजे थाना मालनपुर पर की जाने पर, थाना मालनपुर में उक्त जे.सी.बी. एवं डम्फर चालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 252 / 13 अन्तर्गत धारा ३७१ भा.द.सं. एवं धारा ०३ लोक सम्पत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। विवेचना के दौरान आरोपी अमित को दिनांक 14/11/2013 को गिरफ़्तार कर दिनांक : 14 / 11 / 2013 को उसका ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम लेखबद्ध किया गया। उक्त ज्ञापन में प्रकट हुए तथ्यों के अनुशरण में आरोपी अमित पाठक से दिनांक 14/11/2013 को जे.सी.बी. मशीन क्रमांक एम.पी.07 / डी.ए. / 0696 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। आरोपी अनिल को दिनांक 14/11/2013 को गिरफ्तार कर दिनांक : 14 / 11 / 2013 को उसका ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम लेखबद्ध किया गया। उक्त ज्ञापन में प्रकट हुए तथ्यों के अनुशरण में आरोपी अनिल से दिनांक : 14 / 11 / 2013 को वाहन डम्फर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 3035 को जब्त कर जब्ती पंचनामा बनाया गया। घटनास्थल का नक्शा–मौका बनाया गया। हैलीपेड में हुये नुकसान का नुकसानी पंचनामा बनाया गया। फरियादी स्नील शर्मा, साक्षी सी.पी.उपाध्याय एवं नवाब सिंह के कथन लेखबद्ध किये गये। वाहना मालिकों का प्रमाणीकरण लेखबद्ध किया गया। विवेचना पूर्ण कर आरोपीगण के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

- 04. अभियुक्तगण अमित एवं अनिल के विरूद्ध धारा 379 भा.द.सं. एवं धारा 03 लोक सम्पित्त को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत के आरोप विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझायें जाने पर अभियुक्तगण ने अपराध करना अस्वीकार किया। अभियुक्तगण का अभिवाक् अंकित किया गया।
- 05. अभियोजन साक्ष्य में अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकट हुए तथ्यों के संदर्भ में उनका धारा 313 दं.प्र.सं. के अन्तर्गत परीक्षण किये जाने पर उन्होंने अभियोजन साक्ष्य में प्रकट हुए तथ्यों के सत्य होने से इंकार करते हुए बचाव में स्वयं को निर्दोष एवं झूंठा फंसाया जाना व्यक्त किया।
- 06. न्यायिक विनिश्चय हेतु प्रकरण में मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है :--
- 01. क्या आरोपीगण अमित एवं अनिल ने दिनांक : 08/11/2013 की शाम लगभग 05:00 बजे सुप्रीम फैक्ट्री के पीछे हेलीपेड़, हल्का क्रमांक 26 घिरोगी मालनपुर में, सहअभियुक्त अमित के साथ मिलकर चोरी करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में शासन के पटवारी हल्का क्रमांक 26 ग्राम घिरोंगी मालनपुर की पटवारी श्रीमती सुनील शर्मा के आधिपत्य में से शासन के हेलीपेड की मिटटी उसके कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से खोदकर चोरी की?

02. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय एवं स्थान पर राज्य सरकार को हानि पहुँचाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि आपके इस कृत्य से राज्य सरकार को संदोष हानि कारित होगी, राज्य सरकार के स्वामित्व की लोक सम्पत्ति हेलीपेड़ की खुदाई कर मिट्टी को निकालकर राज्य शासन को लगभग 01 लाख रूपये की रिष्टि कारित की?

#### 03. अंतिम निष्कर्ष?

## सकारण व्याख्या एवं निष्कर्ष विचारणीय बिन्द् कमांक :- 01 एवं 02

- 07. साक्ष्य विवेचना में सुविधा की दृष्टि से तथा साक्ष्य के अनावश्यक दोहराव से बचने के लिए विचारणीय बिन्दु क्रमांक 01 एवं 02 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।
- फरियादी सुनील शर्मा अ.सा.०६ का उसके न्यायायलीन अभिसाक्ष्य में 08. कहना है कि वह दिनांक : 08 / 11 / 2013 को सिंघवारी हल्के में पटवारी के पद पर पदस्थ थी। उक्त दिनांक को जब वह शाम पाँच बजे उसके हल्के में गांव घिरौंगी भ्रमण पर पहुँची तो उसके ग्राम घिरोंगी में सुप्रीम फैक्ट्री के पीछे बने शासकीय हैलीपेड पर एक डम्फर एवं एक जेसीबी मशीन को उनके चालकों द्वारा हैलीपेड की मिट्टी खोदते हुये देखा। साक्षी आगे कहती है कि उक्त जेसीबी मशीन का कमांक एम.पी.07 / डी.ए. / 0696 एवं डम्फर का कमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 3035 था। आरोपी डम्फर एवं जेसीबी चालकों द्वारा हैलीपेड की मिट्टी खोदकर शासन को लगभग एक लाख रूपये का नुकसान कारित किया गया था। साक्षी आगे कहती है कि उक्त घटना की सूचना उसने अगले दिन तहसीलदार गोहद को दी और तहसीलदार द्वारा निर्देशित किये जाने पर उसने थाना मालनपुर में घटना की लिखित रिपोर्ट दिनांक : 09/11/2013 को की थी, जो प्र.पी.06 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके लेखी आवेदन पर पुलिस द्वारा डम्फर एवं जेसीबी के चालकों के विरूद्ध लेखबद्ध की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहती है कि पुलिस द्वारा उसकी निशानदेही पर बनाया गया नक्शा–मौका प्र.पी.08 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उससे घटना के बारे में पृछताछ की थी।
- 09. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 04 में सुनील अ.सा.06 का कहना है कि उसने उक्त जे.सी.बी. एवं डम्फर के चालकों को हिदायत दी थी कि हैलीपेड की मिट्टी मत खोदो। साक्षी आगे कहती है कि उसने उक्त घटना के वावत् ि रारोंगी गांव के सरपंच को कोई सूचना नहीं दी थी। प्रति—परीक्षण के पद कमांक 03 में सुनील अ.सा.06 का कहना है कि वह उसके निजी से ग्राम सिंघवारी से ग्राम घिरोंगी गई थी। ग्राम सिंघवारी से ग्राम घिरोंगी के लिए आते समय ह

ाटनास्थल हैलीपेड रास्ते में पडता है। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 04 में सुनील अ.सा.०६ का कहना है कि घटनास्थल हैलीपेड से थाना मालनपुर पहुँचने में निजी वाहन से दस मिनिट लगते है, लेकिन उसने घटना के दिन थाना मालनपुर में इस वावत् यथा समय कोई सूचना नहीं दी थी। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 05 में सुनील अ.सा.06 का कहना है कि दिनांक : 09 / 11 / 2013 को दोपहर लगभग 11 बजे उसने उक्त घटना के संबंध में तहसीलदार को आवेदन दिया था। तत्पश्चात् साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने घटना दिनांक : 08 / 11 / 2013 को उसके वरिष्ठ अधिकारियों को या किसी पुलिस अधिकारी को आरोपीगण द्वारा हैलीपेड की मिटटी खोदे जाने की कोई जानकारी नहीं दी थी। तत्पश्चात साक्षी ने स्वतः कहा है कि क्योंकि उस समय कार्यालयीन समय समाप्त हो चुका था। साक्षी ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को भी स्वीकार किया है कि इस वावत उसके द्वारा तहसीलदार को दिया गया आवेदन प्रकरण में संलग्न नहीं है। सुनील अ. सा.06 ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहीं पर भी यह स्पष्ट नहीं किया है कि जब उसने उक्त डम्फर एवं जेसीबी मशीन के चालकों को मूल्यवान शासकीय / लोक सम्पत्ति हैलीपेड को क्षति पहुँचाकर मिट्टी खोदते हुए देख लिया और उसके पास में घटनास्थल से थाने पहुँचने के लिए निजी वाहन भी मौजूद था, तब भी उसने एक शासकीय सेवक होते हुये और ऐसी घटना की सूचना यथासंभव शीघ्र पुलिस को देने की अनिवार्यता को जानते हुए भी घटना की सूचना यथासंभव शीघ्र थाना मालनपुर पर क्यों नहीं दी थी।

उल्लेखनीय है कि जब साक्षी सुनील ने आरोपित अपराध कारित करने वाले डम्फर एवं जे.सी.बी. चालकों को प्रत्यक्ष रूप से देख लिया था, तब वह स्वयं पूछताछ कर उनके नाम जान सकती थी। सुनील अ.सा.०६ ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई तथ्य दर्शित नहीं किया कि उसने उक्त आरोपी चालकों की घटनास्थल पर ही पहचान सुनिश्चित करने का कार्य इसलिए नहीं किया हो कि उक्त आरोपी चालकों द्वारा उसे किसी प्रकार का कोई भय उत्पन्न किया गया हो। शासकीय सेवक तत्कालीन पटवारी सुनील अ. सा.06 यदि चाहती तो घटनास्थल पर मौजूद रहते हुये ही मोबाइल के माध्यम से थाना मालनपुर या अपने वरिष्ठ अधिकारियों को घटना की सूचना देकर ६ ाटनास्थल पर बुला सकती थी। जबकि उसके द्वारा ऐसा ना किया जाकर 28 ६ ाण्टे से भी अधिक के विलम्ब से प्रथम सूचना रिपोर्ट ऐसे थाने पर लेखबद्ध कराई है, जो कि घटनास्थल से मात्र 02 किलोमीटर की दूर स्थित है। प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 में घटना की रिपोर्ट विलम्ब से किये जाने के कारण वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करने का लिखा हुआ है। सुनील अ.सा.०६ ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे यह दर्शित होता हो कि उसने किस वरिष्ठ अधिकारी से इस वावत क्या निर्देश कब प्राप्त किये। ऐसी दशा में सुनील अ.सा.06 द्वारा दर्शित घटना की रिपोर्ट विलम्ब से करने का कारण सत्य एवं सद्भाविक प्रतीत नहीं होता है और इससे आरोपित घटना की सत्यता पर संदेह उत्पन्न होता है।

- प्रति–परीक्षण के पद कमांक 05 में सुनील अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसके द्वारा थाना मालनपुर पर दिये गये लेखी आवेदन प्र.पी.06 पर थाना मालनपुर के किसी पुलिसकर्मी द्वारा दी गई पावती अंकित नहीं है। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 06 में सुनील अ.सा.06 का कहना है कि वह उक्त लेखी आवेदन प्र.पी.06 लेकर दिनांक : 09 / 11 / 2013 को शाम लगभग 04:00 बजे थाना मालनपुर पहुँची थी और ऐसा नहीं हुआ था कि वह लेखी आवेदन लेकर रात्रि 09:35 बजे थाना मालनपुर पहुँची हो। साक्षी आगे कहती है कि वह चार बजे थाना पहुँचकर लगभग एक घण्टा थाने पर रूकी थी, उसके बाद वह वापस सिंघवारी चली गई थी। तत्पश्चात् उसने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक : 09 / 11 / 2013 के रात्रि लगभग 09:35 बजे वह थाना मालनपुर में उपस्थित नहीं थी। प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्र.पी.07 के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि उसमें घटना की सूचना थाने पर प्राप्त होने का समय दिनांक : 09 / 11 / 2013 की रात्रि 21:35 अर्थात् 09:35 बजे होना अंकित है और उसके ए से ए भाग पर साक्षी सुनील शर्मा अ.सा.०६ के हस्ताक्षर है और प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर होना सुनील अ.सा.०६ ने उसके मुख्य परीक्षण के पद कमांक 02 में दर्शित किया है। ऐसी दशा में जब सुनील अ.सा.06 दिनांक : 09 / 11 / 2013 की रात्रि 09:35 बजे थाना मालनपुर पर मौजूद ही नहीं थी, तब उसके द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट किस प्रकार लेखबद्ध कराई गई, यह तथ्य अभियोजन साक्ष्य से स्पष्ट नहीं है और ऐसी दशा में प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.07 साक्षी सुनील अ.सा.06 द्वारा दिनांक : 09 / 11 / 2013 को रात्रि 09:35 बजे थाना मालनपुर में लेखबद्ध कराये जाने का तथ्य अत्यंत संदेहास्पद प्रतीत होता है।
- 12. प्रति—परीक्षण के पद क्रमांक 06 में सुनील अ.सा.06 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि वह आरोपीगण सामने आने पर भी नहीं पहचान सकती। इस प्रकार आरोपित अपराध करने वाले डम्फर एवं जे.सी. बी. चालकों के रूप में आरोपीगण की पहचान के संबंध में घटना की एक मात्र चक्षुदर्शी साक्षी सुनील अ.सा.06 के कथन में कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है।
- 13. प्रति—परीक्षण के पद कमांक 06 में सुनील अ.सा.06 का कहना है कि पुलिस ने उसका घटना के संबंध में कोई कथन नहीं लिया था और उसे पुलिस कथन प्र.डी.01 का ए से ए भाग पढ़कर सुनाये जाने पर साक्षी ने उक्त कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकती। जबिक प्रकरण के विवेचना एएसआई राधेश्याम जाट अ.सा.08 का उसके मुख्य परीक्षण के पद कमांक 01 में कहना है कि उसने फरियादी सुनील अ.सा.06 का उसके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किया था। प्रति—परीक्षण के पद कमांक 03 में राधेश्याम अ.सा.08 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव से इन्कार किया है कि साक्षी सुनील शर्मा अ.सा.06 ने उसे उसका पुलिस कथन प्र.डी.01 का ए से ए भाग लेखबद्ध नहीं कराया था। इस प्रकार विवेचक

राधेश्याम जाट अ.सा.08 द्वारा सुनील अ.सा.06 का कथन अन्तर्गत धारा 161 द. प्र.सं. लेखबद्ध किया गया था, अथवा नहीं। इस वावत् सुनील अ.सा.06 एवं राधेश्याम जाट अ.सा.08 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य के मध्य गंभीर विरोधाभाष है।

साक्षी चन्द्रप्रकाश उपाध्याय अ.सा.०२ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य का कहना है कि वह आरोपीगण को नहीं जानता। घटना उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 10 / 02 / 2016 से करीबन 02 वर्ष पूर्व की है, जिसकी तारीख उसे याद नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि मालनपुर इन्डस्ट्रीज एरिया में सुप्रीम फैक्ट्री के पास में हैलीपेड बना हुआ है, उसके आस–पास की मिट्टी किसी ने खोदी थी, उसे रोकने के लिए उसने पुलिस थाना मालनपुर को पत्र दिया था। उक्त पत्र प्र.पी.02 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हरताक्षर है। पुलिस ने उससे घटना के संबंध में कोई पूछताछ नहीं की थी। साक्षी आगे कहता है कि वह आई.आई.डी.सी. ग्वालियर में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ है, उक्त हैसियत से उसके द्वारा थाना प्रभारी मालनपुर को पत्र भेजा गया था। इस साक्षी द्वारा जो पत्र प्र.पी.02 थाना प्रभारी मालनपुर को प्रेषित किया गया है, वह घटना दिनांक : 08/11/2013 के पाँच दिन पूर्व दिनांक : 03 / 11 / 2013 को प्रेषित किया गया है। घटना के पॉच दिन पूर्व उक्त पत्र हैलीपेड क्षेत्र में मिट्टी खुदाई संबंध में किस प्रकार प्रेषित किया गया है, यह साक्षी चन्द्रप्रकाश उपाध्याय अ.सा.०२ ने उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में दर्शित नहीं किया है, ना ही उक्त पत्र प्र.पी.02 में और ना साक्षी चन्द्रप्रकाश उपाध्याय अ.सा.०२ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में आरोपीगण के नाम कहीं पर भी हैलीपेड क्षेत्र से मिट्टी खनन करने वाले आरोपीगण के रूप में दर्शित हुये है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 03 में साक्षी चन्द्रप्रकाश उपाध्याय अ.सा.02 ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से इन्कार किया है कि उसके द्वारा हैलीपेड स्थल का निरीक्षण किया था और उक्त निरीक्षण में उसने मिटटी चोरी होने वाली बात सही पाई थी। साक्षी को उसका पुलिस कथन प्र.पी.03 पढकर सुनाये जाने पर भी उसने ऐसा कथन पुलिस को ना देना व्यक्त किया है। प्रति–परीक्षण के पद कमांक 04 में साक्षी चन्द्रप्रकाश अ.सा.02 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि उसने हैलीपेड स्थल से किसी को मिट्टी खोदते हुए नहीं देखा और हेलीपेड स्थल से कौन से गाडी के चालक मिटटी खोद रहे थे, इसकी उसे कोई जानकारी नहीं है। इस प्रकार चन्द्रप्रकाश उपाध्याय अ.सा.०२ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है, जो आरोपित अपराध में आरोपीगण की संलिप्तता को दर्शित करते हो।

15. साक्षी राकेश शर्मा अ.सा.03 का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आरोपी अनिल को जानता है। वह डम्फर क्रमांक एम.पी.07 / जी.ए. /3035 का पंजीकृत स्वामी है। उसके उक्त डम्फर को अनिल नहीं चलाता, उसका उक्त डम्फर वीरेन्द्र, हाकिम, विशाल, बंटी एवं मुकेश आदि चलाते है। उक्त डम्फर के संचालन का कार्य उसके भाई अशोक शर्मा देखते है, इसलिए वह नहीं बता सकता कि घटना दिनांक : 08/11/2013 को उसका डम्फर कमांक एम.पी.07/जी.ए./3035 को कौन चालक चला रहा था। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। प्रमाणीकरण प्र.पी.04 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर राकेश अ.सा.03 का परीक्षण के पद कमांक 02 में कहना है कि उसने प्रमाणीकरण प्र.पी.04 पर खाली पेपर पर हस्ताक्षर किये थे। उक्त प्रमाणीकरण का बी से बी भाग पढ़कर उसे सुनाये एवं समझाये जाने पर साक्षी ने व्यक्त किया कि उसने ऐसा प्रमाणीकरण कथन पुलिस को नहीं दिया था, कैसे लिख लिया गया कारण नहीं बता सकता। साक्षी ने अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव से भी इन्कार किया है कि दिनांक : 08/11/2013 को उसका डम्फर कमांक एम.पी.07/जी.ए./3035 न्यायालय में उपस्थित आरोपी अनिल चला रहा था। इस राकेश शर्मा अ.सा.03 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है, जो आरोपित अपराध में आरोपी अनिल कुशवाह की संलिप्तता को दर्शित करते हो।

साक्षी राधाकिशन अ.सा.०७ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह जे.सी.बी. क्रमांक एम.पी.07 / डी.ए. / 0696 का पंजीकृत स्वामी है। उसकी जे.सी.बी. कौन चलाता है, उसे यह ध्यान नहीं है। साक्षी आगे कहता है कि उसकी जे.सी.बी. खदानों की सफाई एवं खुदाई कर उसकी मिटटी भरती है। उसके द्वारा दिनांक : 08/11/2013 को जेसीबी मशीन अशोक सिंह, अमर सिंह को किराये पर चलाने हेत् दी थी। उसकी मशीन के संबंध में कभी कुछ नहीं हुआ है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पृछे जाने पर राधाकिशन अ.सा.07 के परीक्षण के पद कमांक 02 में अभियोजन अधिकारी के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि प्रमाणीकरण प्र.पी.09 के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् साक्षी का कहना है कि उसने क्रय दिनांक से उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य दिनांक : 05 / 10 / 2016 तक उसने उसकी जे.सी.बी. मशीन पर कभी कोई ड्रायवर नहीं रखा है और स्वतः कहा है कि जिसको वह जे.सी.बी. मशीन किराये पर देता है, वहीं ड्रायवर रखता है। परीक्षण के पद क्रमांक 03 में राधाकिशन अ.सा.07 का कहना है कि दिनांक : 08 / 11 / 2013 को उसकी गाड़ी पर अमर सिंह एवं अशोक ने ड्रायवर रखा था। परीक्षण के पद कमांक ०४ में राधाकिशन अ.सा.०७ का कहना है कि उसे यह जानकारी नहीं है कि दिनांक : 08 / 11 / 2013 को उसकी गाडी आरोपी अमित पाठक चला रहा था। प्रति–परीक्षण के पद क्रमांक 06 में राधाकिशन अ.सा.07 ने यह दर्शित किया है कि वह न्यायालय में उपस्थित आरोपी अमित पाठक को नहीं जानता। साक्षी आगे कहता है कि प्रमाणीकरण प्र.पी.09 उसकी हस्तलिपि में नहीं है, ना ही उक्त प्रमाणीकरण उसके सामने लिखा गया है. सिविल डेस में किसी पलिस वालें ने उसके कोरे कागज पर हस्ताक्षर करा लिये थे। प्रति-परीक्षण के पद क्रमांक 07 में राधाकिशन अ.सा.07 ने आरोपी अधिवक्ता के इस सुझाव को स्वीकार किया है कि दिनांक :

08/11/2013 को उसकी जे.सी.बी मशीन को आरोपी अमित पाठक नहीं चला रहा था। इस राधाकिशन अ.सा.07 के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है, जो आरोपित अपराध में आरोपी अमित पाठक की संलिप्तता को दर्शित करते हो।

अभियोजन साक्षी नारायण प्रसाद उपाध्याय अ.सा.०४ का उसके 17 न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आई.आई.डी.सी. में जुनियर यंत्री के पद पर पदस्थ है। इसी प्रकार अभियोजन साक्षी राकेश सिंह चौहान अ.सा.०५ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह आई.आई.डी.सी. में सहायक यंत्री के पद पर पदस्थ है। उक्त दोनों साक्षीगण का कहना है कि वह सुप्रीम इंडस्ट्रीज के बगल से बनी हैलीपेड रोड़ से 20 मीटर दूरी पर की गई खुदाई को भरने के कार्य का प्रांक्कलन किया था, उसमें दो गंडडे पाये गये थें। जिसमें एक गड्डा 12 गुणा 10 गुणा 0.6 अर्थात् 72 घनमीटर था एवं दूसरा गड्डा ०६ गुणा ०६ गुणा ०.८ अर्थात् २८.८० घनमीटर का था, दोनों गंडडों कुल माप 100.80 घनमीटर था। जिसका प्रांक्कलन उसके द्वारा एम.पी. पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर. रोड एवं ब्रिज 01 / 02 / 2013 के अनुसार प्रांक्कलन किया गया था, जिसका रेट 177/— रूपये प्रतिघन मीटर था, जिससे कुल लागत 17,842 / — रूपये का प्रांक्कलन बना था। इस वावत उन दोनों द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्र.पी.05 है, जिसके ए से ए एवं बी से बी भाग पर उनके हस्ताक्षर है। उक्त दोनों साक्षीगण नारायण प्रसाद उपाध्याय अ.सा.०४ एवं राकेश सिंह चौहान अ.सा.०५ के न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में भी ऐसे कोई तथ्य दर्शित नहीं हुये है, जो आरोपित अपराध में आरोपीगण की संलिप्तता को दर्शित करते हो।

अभियोजन साक्षी राधेश्याम जाट अ.सा.०८ का उसके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में कहना है कि वह दिनांक : 10 / 11 / 2013 को थाना मालनपुर में सहायक उप निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे थाना मालनपुर के अपराध कमांक 252/2013 धारा 379 भा.द.सं. एवं 03 लोक सम्पत्ति को नुकसानी निवारण अधिनियम 1984 की केस डायरी विवेचना हेत् प्राप्त हुई थी। साक्षी आगे कहता है कि विवेचना के दौरान उसने दिनांक : 10 / 11 / 2013 को फरियादी सुनील शर्मा के बताए अनुसार घटनास्थल का नक्शा–मौका बनाया था, जो प्र.पी.08 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। दिनांक : 10/11/2013 को ही उसने साक्षी नवाव सिंह एवं फरियादी सुनील शर्मा तथा दिनांक : 13 / 11 / 2013 को साक्षी सी.पी.उपाध्याय के, दिनांक 14 / 11 / 2013 को साक्षी राकेश एवं राधा किशन के कथन उनके बताएं अनुसार लेखबद्ध किये थे, जिसमें उसने अपनी ओर से क्छ ६ ाटाया-बढ़ाया नहीं था। उसके द्वारा दिनांक : 14/11/2013 को ही आरोपी अमित पाठक एवं अनिल कुशवाह को साक्षीगण संदीप एवं विजय के समक्ष सुबह 10 बजे से 10:40 बजे गिरफ़तार कर गिरफ़तारी पंचनामा प्र.पी.10 एवं प्र. पी.11 बनाया था. जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात उसके द्वारा आरोपीगण अमित एवं अनिल से पूछताछ कर उनका ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम साक्षी संदीप एवं विजयराम के समक्ष लेखबद्ध किये थे, जो प्र.पी.12 एवं प्र.पी.13 है, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि मैमोरेंडम प्र.पी.12 एवं प्र.पी.13 में प्रकट हुये तथ्यों के आधार पर आरोपी अमित के आधिपत्य से एक जेसीबी मशीन कमांक एम.पी.07/डी.ए./0696 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.14 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। साक्षी आगे कहता है कि इसी प्रकार आरोपी अनिल के मैमोरेंडम में प्रकट हुये तथ्यों के आधार पर आरोपी अनिल के आधिपत्य से एक डम्फर कमांक एम.पी.07/जी.ए./3055 जब्त कर जब्ती पंचनामा प्र.पी.15 बनाया था, जिनके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। तत्पश्चात् विवेचना पूर्ण कर चालान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था।

- 19. प्रकरण के विवेचक एएसआई राधेश्याम जाट अ.सा.08 द्वारा आरोपीगण से धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के ज्ञापन प्र.पी.12 एवं प्र.पी.13 में प्रकट हुये तथ्यों के अनुशरण में प्रकरण में चुराई गई सम्पत्ति जब्त नहीं की गई है, बिल्क जब्ती पत्रक प्र.पी.14 एवं प्र.पी.15 के माध्यम से जेसीबी मशीन एवं डम्फर जब्त किये गये है, जो कि प्रकरण में चुराई गई सम्पत्ति नहीं है। इस प्रकार आरोपीगण के विरूद्ध प्रत्यक्ष साक्ष्य या परिस्थितिजन्य साक्ष्य किसी भी प्रकार से आरोपित अपराध में उनकी संलिप्तता दर्शित नहीं होती है।
- 20. गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11, ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.12 एवं प्र.पी.13, जब्ती पंचनामा प्र.पी.14 एवं प्र.पी.15 के साक्षी संदीप शर्मा अ.सा.09 एवं विजयराम अ.सा.10 ने उनके न्यायालयीन अभिसाक्ष्य में गिरफ्तारी पंचनामा प्र.पी.10 एवं प्र.पी.11, ज्ञापन अन्तर्गत धारा 27 साक्ष्य अधिनियम प्र.पी.12 एवं प्र.पी.13, जब्ती पंचनामा प्र.पी.14 एवं प्र.पी.15 पर उनके हस्ताक्षर होना दर्शित किया है, परन्तु अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी उनके समक्ष आरोपीगण अमित एवं अनिल से उनके सामने ज्ञापन अंकित किये जाने, जब्ती पत्रक बनाये जाने एवं गिरफ्तार किये जाने का तथ्य नहीं बताया है और इस प्रकार अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है। इसी प्रकार नवाव सिंह अ.सा.01 ने भी जो कि कथित रूप से घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है। अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कथा का समर्थन नहीं किया है।
- 21. उपरोक्त विवेचना के आलोक में न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुचा है कि अभियोजन संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण अनिल एवं अमित ने दिनांक : 08/11/2013 की शाम लगभग 05:00 बजे सुप्रीम फैक्ट्री के पीछे हेलीपेड़, हल्का क्रमांक 26 घिरोगी मालनपुर में, सहअभियुक्त अमित के साथ मिलकर चोरी करने का सामान्य आशय बनाया और उसके अग्रसरण में शासन के पटवारी हल्का क्रमांक 26 ग्राम घिरोंगी मालनपुर की पटवारी श्रीमती सुनील शर्मा के आधिपत्य में से शासन के हेलीपेड

की मिटटी उसके कब्जे से उसकी सहमति के बिना बेईमानी से ले लेने के आशय से खोदकर चोरी की एवं अभियुक्तगण ने राज्य सरकार को हानि पहुँचाने के आशय से या यह संभाव्य जानते हुए कि आपके इस कृत्य से राज्य सरकार को संदोष हानि कारित होगी, राज्य सरकार के स्वामित्व की लोक सम्पत्ति हेलीपेड़ की खुदाई कर मिट्टी को निकालकर राज्य शासन को लगभग 01 लाख रूपये की रिष्टि कारित की।

## अंतिम निष्कर्ष

- उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियोजन आरोपीगण अमित एवं अनिल के विरूद्ध धारा 379 भा.द. सं. एवं धारा 03 लोक सम्पत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आरोप को संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। फलतः आरोपीगण को धारा 379 भा.द.सं. एवं धारा 03 लोक सम्पत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के अन्तर्गत आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।
- अभियुक्तगण की उपस्थिति संबंधी प्रतिभूति एवं बंधपत्र भारमुक्त किये जाते है। प्रतिभू को स्वतंत्र किया जाता है।
- प्रकरण में जब्तश्रदा वाहन जे.सी.बी. क्रमांक एम.पी.07 / डी.ए. / 0696 पूर्व से ही उसकी पंजीकृत स्वामी राधाकृष्ण के पास सुपुर्दगी पर है एवं वाहन डम्फर कमांक एम.पी.07 / जी.ए. / 3035 पूर्व से ही उसकी पंजीकृत स्वामी राकेश शर्मा के पास स्पूर्दगी पर है, स्पूर्दगीनामा उन्मोचित किया जाता है। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय का व्ययन संबंधी आदेश प्रभावी होगा।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित। एवं दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

(पंकज शर्मा) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद

(पंकज शर्मा)